

सं.ई-25013/2/2020-हिंदी-1961

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग

हिंदी अनुभाग

906(द.) सेवा भवन,

आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.

दिनांक: ०३ मई, 2021
२०

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-2021

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग, (मुख्यालय) में अधिकारियों के लिए राजभाषा विभाग की डिक्टेशन योजना लागू की गई है। संघ की राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिंदी में देते हैं। इस योजना के अंतर्गत 02 पुरस्कार, अर्थात् हिन्दी भाषी एवं हिंदीत्तर भाषी अधिकारी के लिए रखे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है, जो सामान्यतया डिक्टेशन देते हैं, शामिल हो सकते हैं। इस योजना केंद्रीय जल आयोग में लागू है।

योजना की अवधि वित्तीय वर्ष (01.04.2020 से 31.04.2021) रखी गई है। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिंदी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अपना रिकार्ड रखेंगे जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होगा तथा दी गई डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी जाएंगी। यह रिकार्ड उनके स्टैनो, निजी सचिव भी रख सकते हैं। उनके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

अतः वे अधिकारी, जो वर्ष 2020-2021 के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं, अपने कार्य का विवरण 01 जुलाई, 2021 तक हिंदी अनुभाग को भेज दें।

गोले
03/07/21
(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (रा.भा.)

बीपीएल: 3720

सेवा में,

1. सभी समन्वय/निदेशालय/अनुभाग, के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध), के.ज.आ.।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
5. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

1.

अधिकारी का नाम

•

•

2.

आशुलिपिक/ वैयक्तिक सहायक का नाम

क्रम संख्या	दिनांक	डिक्टेशन लिए गए शब्दों की संख्या	फाइल संख्या	टिप्पणी

हस्ताक्षर

नामांकन प्रपत्र

नाम :

पदनाम :

निदेशालय/अनुभाग/एकक :

इंटरकाम एवं दूरभाष संख्या :

कमरा संख्या :

हिंदी भाषी/हिंदीतर भाषी :